#OPERATION CONVICTION

प्रेस नोट **इटावा पुलिस** दिनांक- 25.03.2026

थाना जसवन्तनगर

इटावा पुलिस की सुदृढ़ विवेचना एवं अभियोजन की समन्वित कार्यवाही के परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त प्रीतम सिंह उर्फ लीला कंजड पुत्र अमर सिंह को 03 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना जसवन्तनगर पुलिस, पैरोकार व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना जसवन्तनगर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा एक सुसंगठित गिरोह बनाकर जघन्य अपराध कारित करना जिससे जनता में भय व्याप्त होना होने के सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पर दिनाँक 17.10.2006 को **मु0अ0सं0-164/2006 धारा 3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह यादव** के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना जसवन्तनगर पुलिस टीम, का0 मनीष कुमार व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.03.2026 को **धारा 3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट में मा0 न्याया0 विशेष न्यायाधीश(गैगस्टर एक्ट) कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000 रु0/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

प्रीतम सिंह उर्फ लीला कंजड पुत्र अमर सिंह नि0 कंजड कॉलोनी थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।